शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (247-252), Month: Sep. 2018

बढ़ते बाल अपराधः घटता पारिवारिक समाजीकरण (एक अध्ययन)

डा0 अरविन्द सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
तिलक महाविद्यालय, औरैया (उ0प्र0)

सारांश

भारत में बाल–अपराध न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2000) के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के लड़को तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों द्वारा किये गये अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में बाल–अपराध तेजी से बढ़ रहे है साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। भारत में बाल–अपराध के मामले 2007 में 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 28.9 प्रतिशत हो गये। 2 साल के अन्तराल से जारी हुई NCRB की रिपोर्ट से पता चला कि 2016 में बच्चों की खिलाफ अपराध के 106958 मामले दर्ज हुये थे वहीं 2017 में यह आकड़ा बढ़कर 129032 हो गया।

चूंकि बाल–अपराध, अपराध की प्रथम सीढ़ी होती है इसलिये बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये बाल–अपराधों पर लगाम लगाना जरूरी है। बच्चा एक कोरा कागज होता है, समाज जो इस कागज पर लिखता है वह वैसा ही बन जाता है। वर्तमान समय में तेजी से घट रहा पारिवारिक समाजीकरण बढ़ते बाल–अपराधों को प्रमुख कारण है। लखनऊ शहर में स्थित बाल सुधार गृहों के अध्ययन से पता चला कि माता–पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बालकों के प्रति अच्छा व्यवहार न करने एवं उनकी उचित देखभाल न होने के कारण वे बाल अपराधी बन गये।

परिचय

मानव एक सामाजिक प्राणी है इस नाते मानव का समाज के साथ अटूट सम्बन्ध है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण द्वारा मनुष्य एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियां जैसे–स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, हिंसा तथा काम के प्रभाव को कम करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये मानव ने स्वयं ही रीति–रिवाज, परम्परायें, नियम, संस्कार एवं सामाजिक मूल्य विकसित किये इन सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के विपरीत कार्यो को समाज द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। कम उम्र के बच्चों द्वारा कम गम्भीर अपराधों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के लड़को एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों द्वारा किये गये अपराधों को बाल अपराध कहा गया है।

सेथना के अनुसार– ''बाल अपराध के अन्तर्गत किसी ऐसे बालक या तरूण के गलत कार्य आते है जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो इस समय लागू हों) के द्वारा

निर्दिष्ट आयु सीमा के अन्तर्गत आता हो।'' बाल अपराध, अपराध की प्रथम सीढ़ी है। इसलिये अपराधों को रोकने के लिये बाल–अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चे का जन्म ही किसी न किसी परिवार में होता है एवं उसका पालन पोषण भी परिवार में होता है, इसीलिये परिवार समाजीकरण की सर्वप्रमुख संस्था है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर परिवार की अमिट छाप होना स्वाभाविक ही है। अर्थात परिवार का प्रभाव व्यक्ति पर आजीवन रहता है। ऐसी दशा में यदि परिवार द्वारा उचित समाजीकरण किया जाता है तो बालक के अपराधी बनने की सम्भावनायें नगण्य हो जाती है। परिवार बालक के समाजीकरण में केन्द्रीय भूमिका निभाता है परिवार का पर्यावरण ही उसमें अच्छे संस्कारों का निर्माण करता है, जिसे आत्मसात कर उसमें अच्छे व्यक्तित्व विकास होता है। परन्तु उचित समाजीकरण न होने पर वह अपराधी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि बालक परिवार में जो कुछ सीखता है वह बड़ा होकर समाज में वैसा ही व्यवहार करता है। लखनऊ शहर के विभिन्न बाल सुधार गृहों में रह रहे बालकों के अध्ययन के आधार पर शोधार्थी ने पाया कि पारिवारिक दशायें एवं परिवार के द्वारा बालकों का उचित समाजीकरण न हो पाने के कारण बालकों में अपराधी प्रवृत्ति विकसित हुई है। बालक किसी राष्ट्र का भविष्य होते है। वर्तमान समय में उचित पारिवारिक समाजीकरण ने होने के कारण बालकों में बढ़ती अपराधी प्रवषत्ति देश के उज्जवल भविष्य के लिये घातक है।

अध्ययन के उद्देश्य

शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. बालकों के व्यवहार पर परिवार के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. बालकों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका का अध्ययन करना।
3. बढ़ते बाल–अपराध को रोकने में परिवार की भूमिका का अध्ययन करना।
4. बाल–अपराध को बढ़ाने वाली पारिवारिक दशाओं का पता लगाना।
5. बाल अपराध की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु उपाय खोजना।

शोध पद्धति

शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के समंको को प्रयोग में लाया गया है परन्तु यह अध्ययन विशेष रुप से प्राथमिक समंको पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक समंको का संकलन लखनऊ शहर के विभिन्न बाल सुधार ग्रहो में रह रहे बाल–अपराधियों से मिलकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। जबकि द्वितीयक समंको को बाल–अपराध से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों, सर्वेक्षण रिर्पोटो, शोध ग्रन्थों एवं विभिन्न पत्र/पत्रिकाओं से संकलित किया गया है।

समंकों का विश्लेषण

परिवार में बालक के माता–पिता के व्यवहार का सीधा असर बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि बालक के प्रति माता–पिता का व्यवहार अच्छा है तो वह एक अच्छा नागरिक

बनता है। और यदि माता–पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं है तो वह अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।

उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता के स्वभाव को दर्शाने वाली तालिका

कमांक	पिता का स्वभाव	संख्या	प्रतिशत
01	शांत	38	17.27
02	गंभीर	16	07.27
03	क्रोधी	109	49.55
04	चिड़चिड़ा	57	25.91
	कुल योग	**220**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता के स्वभाव को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित सर्वाधिक 109 (49.55%) उत्तरदाताओं के पिता क्रोधी स्वभाव के थे। 57(25.91%) उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके पिता का स्वभाव चिड़चिड़ा था जबकि 38 (07.27%) उत्तरदाताओं के पिता गंभीर स्वभाव के थे।

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता क्रोधी स्वभाव के थे क्रोधी स्वभाव होने के कारण उन्हें शीघ्र ही किसी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह चीखने–चिल्लाने गालियां बकने एंव मारने–पीटने पर उतारु हो जाते है। पिता के क्रोधी स्वभाव का बालमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बालक अपने पिता के स्वभाव के कारण उससे सदैव डरता रहता है और अपने मन की बात और आवश्यक वस्तुओं के लिए उनसे नहीं कह पाता है परिणाम स्वरुप वह अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु अपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।

उत्तरदाता बाल–अपराधियों के माता के स्वभाव को दर्शाने वाली तालिका

कमांक	माता का स्वभाव	संख्या	प्रतिशत
01	शांत	44	20.00
02	गंभीर	23	10.45
03	क्रोधी	82	37.27
04	चिड़चिड़ा	71	32.28
	कुल योग	**220**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वाधिक 82(37.27%) उत्तरदाताओं की माता क्रोधी स्वभाव की थी 71 (32.28%) उत्तरदाता का स्वभाव चिड़चिड़ा था। जबकि 44 (20.00%) की माता का स्वभाव शांत एवं 23 (10.45%) मातायें गंभीर स्वभाव की थी।

स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता बाल–अपराधियों की माता का स्वभाव पिता की भाँति क्रोधी ही रहा है।

माता–पिता दोनों का स्वभाव क्रोधी होने के कारण परिवार में शांति का वातावरण निर्मित नहीं हो पाता था परिणामस्वरुप उनके समाजीकरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बालक अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगते है। इस सम्बन्ध में **कोलमन** का कथन है कि "परिवार में जो माता–पिता बच्चों के पालन–पोषण का जितना अधिक ध्यान रखते है उनका व्यवहार सामाजिक रुप से उतना ही अधिक नियंत्रित होता है"।

उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता द्वारा किये जाने वाले व्यवहार को दर्शाने वाली तालिका

क्रमांक	माता का व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
01	अच्छा	24	10.91
02	बुरा	128	58.18
03	सामान्य	68	30.91
	कुल योग	**220**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता के व्यवहार के समान ही सर्वाधिक 128(58.18%) मातायें भी उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी। माँ का स्वभाव प्रकृति प्रदत्त शांत और ममतामयी होता है किन्तु पारिवारिक परिस्थितियों एवं वातावरण के चलते माता का व्यवहार भी अपनी सन्तान के प्रति क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। माता–पिता दोनों का व्यवहार अपनी सन्तानों के प्रति नकारात्मक होने के कारण निश्चित ही बालक स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है और उनमें आज्ञाकारिता का अभाव एवं बुरी आदतों का विकास हो जाता है।

उत्तरदाता बाल अपराधियों के पिता द्वारा किये जाने वाले बुरे अथवा अवैधानिक कार्य को दर्शाने वाली तालिका

क्रमांक	कार्य का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
01	जुआ	49	32.89
02	सट्टा	21	14.09
03	चोरी	27	18.12
04	वेश्यावृत्ति	06	04.02
05	शराब वेचना	38	25.51
06	अन्य	08	05.37
	कुल योग	**220**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित सर्वाधिक 49(32.89%) उत्तरदाताओं के पिता जुऑ खेलते थे। 38(25.51%) उत्तरदाता ऐसे है जिनके पिता शराब बेचने का कार्य करते थे। 27(18.12%) उत्तरदाताओं के पिता चोरी करते थे जबकि 21(14.09%) उत्तरदाता ऐसे है जिनके पिता सट्टा लगाते थे। 08(05.37%) उत्तरदाताओं के पिता अन्य किसी प्रकार के अवैधानिक कार्यों में लिप्त थे। तथा 06(04.02%) उत्तरदाता ऐसे भी है जिनके पिता द्वारा वेश्यावृत्ति का कार्य किया जाता था।

स्पष्ट है कि उत्तरदाता बाल–आपराधियों के पिता द्वारा लगभग सभी प्रकार के बुरे एवं अवैधानिक कार्यों को अपनाया जाता था। सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार उनके पिता द्वारा क्रमशः जुऑ खेलना, शराब बेचना, चोरी करना एवं सट्टा लगाना रहा है। पिता की इस प्रकार की अपराधिक छवि का प्रतिकूल प्रभाव उनके बच्चों पर स्वभाविक ही है। क्योंकि बच्चे जैसा आचरण या व्यवहार अपने बडे व्यक्तियों का देखते है वे उसी को करने का प्रयास करते है। यदि माता–पिता का व्यवहार एवं क्रियाकलाप अच्छे रहते है तो निश्चित ही उनके बच्चे अच्छे व्यवहार एवं आचरण को आत्मसात करते जबकि खराब व्यवहार एवं आचरण रखने वाले माता–पिता के बच्चों ने भी उनकी बुरी आदतों को ही अपनाया है। अध्ययन में देखा गया है कि अधिकांश अपराधी किसी न किसी प्रकार का नशा करते है क्योंकि नशा करने के बाद व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा उसमें आत्म निरीक्षण की क्षमता ही नहीं रहती है। बस उसके मन में अपराध करने की धुन सवार हो जाती है। ऐसे में यदि उन्हें कोई रोके तो भी वे उन्हें सुनने को तैयार ही नहीं होते है। सामान्य व्यक्ति तो कार्य करने के पूर्व सोचेगा तब भी अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी पर नशेबाज के हृदय में अपराध बोध होता ही नहीं। अतः अपराध कर्म करने में उसे कोई संकोच नहीं होता और वह समाज द्वारा प्रतिबंधित और विधि द्वारा वर्जित कार्य करने को उद्यत हो जाता है।

उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता द्वारा नशा किये जाने की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

क्रमांक	नशा करते थे	संख्या	प्रतिशत
01	हॉ	207	94.09
02	नहीं	13	05.91
	कुल योग	**220**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश 207(94.09%) उत्तरदाता बाल–अपराधियों के पिता द्वारा कोई न कोई नशा किया जाता था। नशेबाजी अन्य अपराधों को भी जन्म देने में सहायक होती है।

अतः यह कहा जाना अप्रासंगिक न होगा कि व्यक्ति प्रारम्भिक अवस्था में अपराधी नहीं होता। नशे की लत उन्हें अन्य ऐसे सम्पर्क सूत्र में बाँध देती है जहाँ अपराधिक गतिविधियों की करवटें वदलती रहती है। अपराधी, अपराधी है चाहे वह नशेबाज ही क्यों न हो नशे की स्थिति में वह नाना प्रकार के अपराध करते है कभी पत्नी के विरुद्ध गृह हिंसा कभी बच्चों के साथ क्रूरता, कभी आस–पास के लोगों, चलते फिरते राहगीरों के साथ मारपीट, गाली गलौज तो कभी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाते है। उनके अपराधी कृत्य हत्या करने तक पहुॅच जाते है। और वे जेल की सलाखों में बंद हो जाते है। इन सबका विपरीत प्रभाव बालमन पर पड़ता है और वे अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, परिवार के अतिरिक्त दूसरी कोई भी संस्था इस क्षेत्र में प्रभावपूर्ण नहीं बन सकी है। परिवार के यौनिक आचरण सम्बन्धी इन नियमों ने व्यक्तियों को इन पारस्परिक संघर्षों से बचाया है। इसी आधार पर **क्यूबर** ने निष्कर्ष दिया कि "परिवार के नियम परम्परागत आदर्शों पर आधारित होने के बाद भी सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है"।

परिवार का निर्माण यौन आवश्यकता की संस्थागत पूर्ति करने स्नेह की लालसा को पूरा करने, बच्चो का पालन–पोषण एवं समाजीकरण करने तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का एक पीढी से दूसरी पीढी को संचरण करने के लिए हुआ था। और ये कार्य परिवार आज भी उसी रुप में कर रहे है और करते रहेगें। इसी आधार पर **ऑगबर्न एवं निमकॉफ** लिखते है कि" स्नेह की लालसा और बच्चों का पालन–पोषण निःसन्देह परिवार के निर्माण में मौलिक कारण रहे है और आज भी सर्वन्यापी है"।

निष्कर्ष

यह सर्वविदित है कि परिवार समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण का केन्द्रीय अभिकरण है। यदि परिवार अपने दायित्वो का सही ढ़ंग से निर्वाह करे तो उस परिवार के बच्चे सुयोग्य नागरिक बनेगें। परन्तु वर्तमान समय में परिवार बालकों के समाजीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे है, यही कारण है कि बाल अपराधियों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। निरन्तर बढ़ रही बाल अपराधियों की संख्या इस बात को सिद्ध करती है कि परिवार में बालकों का उचित समाजीकरण नहीं हो रहा है।

सन्दर्भ

1. M.J Sethna, Society and the Criminal P-315
2. Curtis Coleman and Ralph Lane, Sociology:An Introduction, P-126
3. J.E Cuber Sociology: A Synopsis of Principles, PP. 439-41
4. Ogburn and Nimkoff, Handbook of Sociology. P. 465